

**<sup>1</sup>प्ररूप सं. 61क**

[नियम 114ड देखिए]

**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285खक के अधीन <sup>2</sup>[वित्तीय संव्यवहार की वार्षिक सूचना विवरणी या विवरण]**

**[1.4.2015 से 31.3.2016 की अवधि के दौरान कार्यान्वित विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहारों को लागू होगा]**

(भाग क)

*कृपया अनुदेश देखिए और सुसंगत स्तंभों को भरें*

- |                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. व्यक्ति का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)<br>(कृपया दो शब्दों के बीच एक खाना रिक्त छोड़ें)                      | <div></div> |
| 2. व्यक्ति का स्थायी खाता संख्यांक (पैन) (अनुदेश देखिए)                                                      | <div></div> |
| 3. व्यक्ति का फोलियो संख्यांक (अनुदेश देखिए)                                                                 | <div></div> |
| 4. पता (स्पष्ट अक्षरों में) (कृपया दो शब्दों के बीच एक खाना रिक्त छोड़ें)                                    |             |
| 4.1 फ्लैट सं.                                                                                                | <div></div> |
| 4.2 मकान/परिसर सं.                                                                                           | <div></div> |
| 4.3 तल सं.                                                                                                   | <div></div> |
| 4.4 भवन का नाम                                                                                               | <div></div> |
| 4.5 ब्लॉक/सेक्टर                                                                                             | <div></div> |
| 4.6 सड़क/गली                                                                                                 | <div></div> |
| 4.7 अवस्थिति/कालोनी                                                                                          | <div></div> |
| 4.8 नगर                                                                                                      | <div></div> |
| 4.9 राज्य कोड (अनुदेशों में राज्य कोड के प्रतिनिर्देश करें)                                                  | <div></div> |
| 4.10 पिन कोड                                                                                                 | <div></div> |
| 5. प्रास्थिति (व्यष्टि-आई, कंपनी-सी, फर्म-एफ, हिन्दु अविभक्त कुटुंब-एच, सरकारी कार्यालय-जी, बैंक-बी, अन्य-ओ) |             |
| 6. वित्तीय वर्ष (वे संव्यवहार, जिनके संबंध में रिपोर्ट किया गया है)                                          | <div></div> |

---

1. आय-कर (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2005 द्वारा 1.12.2004 से भूतलक्षी प्रभाव से अंतःस्थापित।

7. अधिकारिता वाले आय-कर <sup>3</sup>[निदेशक] (केन्द्रीय सूचना शाखा) का पता
8. 2[वित्तीय संव्यवहार की वार्षिक सूचना विवरणी या विवरण] (भाग ख) में रिपोर्ट किए गए संव्यवहारों की कुल संख्या
9. 2[वित्तीय संव्यवहार की वार्षिक सूचना विवरणी या विवरण] (भाग ख) में रिपोर्ट किए गए सभी संव्यवहारों का कुल मूल्य रु.
10. 2[वित्तीय संव्यवहार की वार्षिक सूचना विवरणी या विवरण] का माध्यम (जो लागू न हो उसे काट दें)-सीडी/फ्लापी/डीवीडी/ऑन-लाइन

#### सत्यापन

मैं..... (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) जो.....का पुत्र/की पुत्री हूं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करती हूं कि इस 2[विवरणी या विवरण] के भाग क और भाग ख में दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से सही और पूर्ण हैं। मैं यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं इस 2[विवरणी या विवरण] को अपनी.....की हैसियत के रूप में दे रहा हूं/रही हूं और मैं इस 2[विवरणी या विवरण] को देने में सक्षम भी हूं और इसे सत्यापित करता हूं/करती हूं। मैं यह और प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि फ्लापी/सीडी-रोम/डिजिटल वीडियो डिस्क/आनलाइन डाटा, जिसके माध्यम से भाग ख प्रस्तुत किया गया है, स्पष्ट और वायरस मुक्त है।

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

स्थान.....

नाम.....

(कार्यालय प्रयोग के लिए)

रसीद सं. .... :

तारीख ..... :

4[वित्तीय संव्यवहार की वार्षिक सूचना विवरणी या विवरण] प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर (मुहर सहित) :

(भाग ख)

1. व्यक्ति का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)  
(कृपया दो शब्दों के बीच एक खाना रिक्त छोड़ें)
2. व्यक्ति का स्थायी खाता संख्यांक (पैन) (अनुदेश देखिए)
3. व्यक्ति का फोलियो संख्यांक (अनुदेश देखिए)

2. आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 2016 द्वारा 1.4.2015 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रतिस्थापित।

3. आय-कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2008 द्वारा 23.12.2008 से “आयुक्त” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4. आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 2016 द्वारा 1.4.2015 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रतिस्थापित।

4. पता (स्पष्ट अक्षरों में) (कृपया दो शब्दों के बीच एक खाना रिक्त छोड़ें)

4.1 फ्लैट सं.

4.2 मकान/परिसर सं.

4.3 तल सं.

4.4 भवन का नाम

4.5 ब्लॉक/सैक्टर

4.6 सड़क/गली

4.7 अवस्थिति/कालोनी

4.8 नगर

4.9 राज्य कोड (अनुदेशों में राज्य कोड के प्रति निर्देश करें)

4.10 पिन कोड

5. प्रास्थिति (व्यष्टि-आई, कंपनी-सी, फर्म-एफ, हिन्दु अविभक्त कुटुंब-एच, सरकारी कार्यालय-जी, बैंक-बी, अन्य-ओ)

6. वित्तीय वर्ष (वे संव्यवहार, जिनके संबंध में रिपोर्ट किया गया है)

7. 4[वित्तीय संव्यवहार की वार्षिक सूचना विवरणी या विवरण] में रिपोर्ट किए गए सभी संव्यवहारों की कुल संख्या

8. 4[वित्तीय संव्यवहार की वार्षिक सूचना विवरणी या विवरण] में रिपोर्ट किए गए सभी संव्यवहारों का कुल मूल्य (रुपयों में)

## 9. संव्यवहारों के ब्यौरे :

| क्रम सं. | संव्यवहार की तारीख (तारीख-मास-वर्ष) | संव्यवहार करने वाले पक्षकार का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) 1. प्रथम नाम 2. मध्य नाम (अनुदेश सं. 5 के प्रति निर्देश करें) 3. उपनाम (व्यक्ति न होने की दशा में, पूरा नाम लिखा जाए। कृपया दो शब्दों के बीच एक खाना रिक्त छोड़ें) | संव्यवहार करने वाले पक्षकार का स्थायी खाता संख्यांक | पूरा पता (स्पष्ट अक्षरों में) (दो शब्दों के बीच एक खाना रिक्त छोड़ें) 1. फ्लैट सं.; 2. मकान/परिसर सं.; 3. तल सं.; 4. भवन का नाम; 5. ब्लॉक/सेक्टर; 6. सड़क/गली; 7. परिक्षेत्र/कालोनी; 8. शहर 9. जिला 10. राज्य कोड 11. पिन (अनुदेशों में राज्य बोर्ड के प्रति निर्देश करें) | संव्यवहार का ढंग (नकद-सी, बैंक-क्यू, कार्ड-आर, डिमांड ड्राफ्ट डी, अन्य-ओ) | रकम रुपयों में (निकटतम रूप में पूर्णांकित) | व्यवहार कोड | व्यक्ति <sup>5</sup> [(वित्तीय संव्यवहार की वार्षिक सूचना विवरणी या विवरण) दिए जाने के लिए उत्तरदायी] के कार्यालय/शाखा का पता, जहां संव्यवहार हुआ |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                     | 1. ....<br>2. ....<br>3. ....                                                                                                                                                                                              |                                                     | 1. ....<br>2. ....<br>3. ....<br>4. ....<br>5. ....<br>6. ....<br>7. ....<br>8. ....<br>9. ....<br>10. ....<br>11. ....                                                                                                                                                    |                                                                           |                                            |             |                                                                                                                                                   |

### <sup>5</sup>[वित्तीय संव्यवहार की वार्षिक सूचना विवरणी या विवरण] फाइल करने संबंधी अनुदेश

- (i) यह <sup>5</sup>[विवरणी या विवरण] (भाग क और भाग ख) एक फ्लॉपी (3.5 इंच और 1.44 एमबी) या सीडी-रोम (650 एमबी या उच्चतर धारिता) या डिजिटल वीडियो डिस्क में कम्प्यूटर पठनीय मीडिया पर उसके भाग क के साथ पेपर पर दी जाएगी।
  - (ii) यदि <sup>5</sup>[विवरणी या विवरण] कम्प्रेस्ड फारमेट में फाइल की जाती है, तो उसे केवल विनजिप 8.1 या जिप्लेटफास्ट 3.0 कम्प्रेशन यूटिलिटी का उपयोग करते हुए कम्प्रेस्ड किया जाना चाहिए।
  - (iii) <sup>5</sup>[विवरणी या विवरण] को सीडी/फ्लॉपी/डीवीडी में फाइल किया जाना चाहिए और उसका स्पैन बहु फ्लॉपी/सीडी/डीवीडी के बाहर नहीं होना चाहिए।
- कृपया प्रा. लि., इत्यादि जैसे किसी संक्षेपाक्षर का उपयोग न करें।
  - पैन को मद संख्या 2 (भाग क) और मद सं. 2 (भाग ख) में—
    - रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के अधीन नियुक्त कोई रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार द्वारा
    - ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी है और बंधपत्र जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत है दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

5. आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 2016 द्वारा 1.4.2015 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रतिस्थापित।

4. पहली बार 6[वित्तीय संव्यवहार की वार्षिक सूचना विवरणी या विवरण] फाइल करने के पश्चात् एक रैंडम कम्प्यूटर जनित्र संख्यांक (फोलियो संख्यांक) आबंटित किया जाएगा। इस संख्यांक को पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए 6[विवरणी या विवरण] के मद सं. 3 (भाग क) और मद सं. 3 (भाग ख) में कोट किया जाएगा।
5. जहां संव्यवहार करने वाले पक्षकार के पास स्थायी खाता संख्यांक नहीं है कृपया, यथास्थिति, 60 (यदि नियम 114ख के अधीन प्ररूप सं. 60 प्राप्त किया जाता है) या 61 (यदि नियम 114ग के अधीन प्ररूप सं. 61 प्राप्त किया जाता है) या एन.आर. (अनिवासी के लिए) या जी (क्रेन्द्रीय या राज्य सरकारी विभाग या कौंसुलर कार्यालय के लिए) का उल्लेख करें।
6. राज्य कोड

| कोड | राज्य का नाम                 | कोड | राज्य का नाम  |
|-----|------------------------------|-----|---------------|
| 01. | अंदमान और निकोबार द्वीप समूह | 19. | महाराष्ट्र    |
| 02. | आंध्र प्रदेश                 | 20. | मणिपुर        |
| 03. | अरुणाचल प्रदेश               | 21. | मेघालय        |
| 04. | असम                          | 22. | मिजोरम        |
| 05. | बिहार                        | 23. | नागालैंड      |
| 06. | चंडीगढ़                      | 24. | उड़ीसा        |
| 07. | दादरा और नगर हवेली           | 25. | पांडिचेरी     |
| 08. | दमन और दीव                   | 26. | पंजाब         |
| 09. | दिल्ली                       | 27. | राजस्थान      |
| 10. | गोवा                         | 28. | सिक्किम       |
| 11. | गुजरात                       | 29. | तमिलनाडु      |
| 12. | हरियाणा                      | 30. | त्रिपुरा      |
| 13. | हिमाचल प्रदेश                | 31. | उत्तर प्रदेश  |
| 14. | जम्मू-कश्मीर                 | 32. | पश्चिमी बंगाल |
| 15. | कर्नाटक                      | 33. | छत्तीसगढ़     |
| 16. | केरल                         | 34. | उत्तरांचल     |
| 17. | लक्षद्वीप                    | 35. | झारखंड        |
| 18. | मध्यप्रदेश                   |     |               |

6. आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 2016 द्वारा 1.4.2015 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रतिस्थापित।

7. रिपोर्ट किए जाने वाले संव्यवहारों की बाबत कोड

| क्रम सं. | संव्यवहार                                                                                                                                                                                                                                                           | संव्यवहार कोड |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | किसी बैंककारी कंपनी में जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसमें अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था सम्मिलित है। रखे गए किसी व्यक्ति के किसी बचत खाते में एक वर्ष में कुल मिलाकर दस लाख रुपए या अधिक नकद जमा | 001           |
| 2.       | क्रेडिट कार्ड की बाबत लिए गए बिल के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया संदाय जो एक वर्ष में कुल मिलाकर दो लाख रुपए या अधिक का हो                                                                                                                                      | 002           |
| 3.       | किसी व्यक्ति से पारस्परिक निधि की यूनिटों के क्रय के लिए दो लाख रुपए या अधिक रकम की प्राप्ति                                                                                                                                                                        | 003           |
| 4.       | किसी व्यक्ति से किसी कंपनी या संस्था द्वारा जारी बंधपत्रों या डिबेंचरों की अर्जन के लिए पांच लाख रुपए या अधिक रकम की प्राप्ति                                                                                                                                       | 004           |
| 5.       | किसी व्यक्ति से किसी कंपनी द्वारा जारी शेयर अर्जित करने के लिए एक लाख रुपए या अधिक रकम की प्राप्ति                                                                                                                                                                  | 005           |
| 6.       | किसी व्यक्ति द्वारा तीस लाख रुपए या अधिक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति का क्रय                                                                                                                                                                                           | 006           |
| 7.       | किसी व्यक्ति द्वारा तीस लाख रुपए या अधिक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति का विक्रय                                                                                                                                                                                         | 007           |
| 8.       | किसी व्यक्ति से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बंधपत्रों में निवेश के लिए एक वर्ष में पांच लाख रुपए या अधिक रकम की प्राप्ति                                                                                                                                         | 008           |